संख्या-5/2026/आई/1203457/001-23-7-2026-23-7005-18-2024

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता बजट (क) वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 12 जनवरी, 2026

विषय-इजरावाद संख्या-91/2024 मे0 पवन कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में ए०आर०पी०एल०डी० सं०-225/2024 (धारा-37) में योजित रिट के आदेश दिनांक 22.10.2024 के अनुपालन में डिक्रीटल मद के अन्तर्गत धनावंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), बजट (क) वर्ग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-I/232836/2025 दिनांक 07.08.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त इजरावाद संख्या-91/2024 मे0 पवन कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में ए०आर०पी०एल०डी० सं०-225/2024 (धारा-37) में योजित रिट के आदेश दिनांक 22.10.2024 के अनुपालन में मा0 वाणिज्यिक न्यायालय, प्रयागराज में धनराशि जमा करने हेतु रू0 24,84,115/- (रूपये चौबीस लाख चौरासी हजार एक सौ पन्द्रह मात्र) का आवंटन डिक्रीटल मद से किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4 (कु0मे0), लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज द्वारा अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 24,84,115/- (रूपये चौबीस लाख चौरासी हजार एक सौ पन्द्रह मात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च,2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

संख्या-5/2026/आई/1203457/001-23-7-2026-23-7005-18-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, प्रयागराज।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज।
8- अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज वृत्त, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज।
9- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4 (कु0मे0), लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज।
10-वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।